राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

ई–मेल : seaccg@gmail.com

विषयः– **<u>राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 28/03/2024 को संपन्न 522वीं बैठक का कार्यवाही विवरण</u>**

----00----

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 522वीं बैठक दिनांक 28/03/2024 को डॉ. बी.पी. नोन्हारे, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लियाः–

1. डॉ. शैलेश कुमार जाधव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
2. श्री एन.के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
3. श्री किशन सिंह ध्रुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
4. डॉ. मनोज कुमार चोपकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
5. श्री कलदियुस तिर्की, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति

समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गयाः–

एजेन्डा आयटम क्रमांक–1: **521वीं बैठक दिनांक 27/03/2024 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन के संबंध में।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 521वीं बैठक दिनांक 27/03/2024 को संपन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–2: **परिवेश 2.0 पोर्टल से 10 प्रकरणों (गौण/मुख्य खनिजों / औद्योगिक परियोजनाओं/ बिल्डिंग संबंधी प्रकरणों) के प्रस्तुतीकरण उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर/अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।**

परिवेश 2.0 पोर्टल में चयनित 10 प्रकरणों का कार्यवाही विवरण भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित प्रारुप में ऑनलाईन के माध्यम से तैयार किया गया।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–3: **परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रेषित वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त प्रकरणों में अवलोकन पश्चात् विचार कर पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर / अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।**

1. **मेसर्स मध्य भारत मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड (डॉयरेक्टर – श्री जितेन्द्र व्यास), ग्राम–हरिनछपरा, तहसील–बोडला, जिला–कबीरधाम (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2740)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी1/ 451124/ 2023, दिनांक 02/11/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा खसरा क्रमांक 203/1 तथा प्लाट नं. A1 एवं A2, ग्राम–हरिनछपरा, तहसील–बोडला, जिला–कबीरधाम, कुल क्षेत्रफल–1.9697 हेक्टेयर में प्रस्तावित Aluminium Hydrate of capacity 19,900 TPA alongwith Steam generated Boiler of capacity 10 TPH हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का कुल विनियोग रुपये 21 करोड़ होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/01/2024 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 508वीं बैठक दिनांक 11/01/2024:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री जितेन्द्र व्यास, डायरेक्टर एवं श्री बी. सेनापति, सी.ई.ओ. उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

   - समीपस्थ आबादी ग्राम–हरिनछपरा 1.4 कि.मी. एवं शासकीय अस्पताल कवर्धा 6.3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन दुर्ग 96.2 कि.मी. एवं स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 111 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 8.5 कि.मी. दूर है। बीजानर नाला 100 मीटर एवं सकरी नदी 2.4 कि.मी. की दूरी पर है।
   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 5 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
   - भोरमदेव वन्य जीव अभ्यारण्य 9.1 कि.मी., छपरी संरक्षित वन 5.8 कि.मी. एवं बोरला संरक्षित वन 8.2 कि.मी. की दूरी पर है।

   समिति का मत है कि आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उद्योग की स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत हरिनछपरा का दिनांक 02/10/2023 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **भू–स्वामित्व** – भूमि मेसर्स मध्य भारत मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड, डॉयरेक्टर– श्री दिनेश कुमार, श्री मुकेश कुमार, श्री पी. ओम प्रकाश के तरफ से आ.मु. श्री संजय कुमार के नाम पर है। क्षेत्रफल 0.37175 हेक्टेयर भूमि को सी.एस.आई. डी.सी. द्वारा दिनांक 31/08/2023 के माध्यम से लीज पर जारी की गई है, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 99 वर्ष तक है।

4. मध्य भारत मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड का निगमन का प्रमाण पत्र (Certificate of Incorporation) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

5. मेसर्स मध्य भारत मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड द्वारा जारी बोर्ड ऑफ रिसॉल्युशन की प्रति प्रेषित की गई है।

6. लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –

S.No.	Land use	Area (in SQM)	Area (%)
1.	Alumina Main Plant	0.734	37.26
2.	Utilities and Infrastructures	0.005	0.25
3.	Raw Material Storage	0.052	2.64
4.	Steam Plant/Boiler	0.063	3.197
5.	Boiler Fuel Storage	0.063	3.197
6.	Brick Plant	0.010	0.51
7.	Internal Road and Drains	0.123	6.24
8.	Truck Parking	0.2543	12.89
9.	Green Belt	0.651	33.04
10.	Admin Building	0.010	0.51
11.	Store	0.005	0.25
Total		**1.9697**	**100**

7. रॉ–मटेरियल –

Raw Material for Aluminium Hydrate

S.No	Raw Material	Quantity (TPA)	Source	Mode of Transportation
1.	Bauxite (Dry)	41,000	Own Mine	By road
2.	Soda Loss (as NaOH)	1,500	From Traders	By road
3.	Lime	900	From Katni/Bilaspur	By road
4.	Filter Cloth	5	From Traders	By road
5.	Synthetic Flocculants	17.91	From Traders	By road
6.	Rice Husk and Coal	14,000	Husk from Local supplier and coal from open market	By road

Material Balance for Aluminium Hydrate

S.No.	Input		Output	
	Material	Quantity (TPA)	Material	Quantity (TPA)
1.	Bauxite	41,000	Alumina Hydrate	19,900
2.	Caustic Soda	1,500	Bauxite Residue	22,000
3.	Lime	900	Lime Grit	12,000

4.			Reaction Loss/LOI	1,488
	Total	**43,400**		**43,400**

Material Balance for Boiler

S.No.	Input		Output	
	Material	**Quantity (TPA)**	**Material**	**Quantity (TPA)**
1.	Rice Husk and Coal	14,000	Steam	10 TPH
2.			Ash	3,500
3.			Reaction Loss	10,500
	Total	**14,000**		**14,000**

8. प्रस्तावित इकाई संबंधी जानकारी –

S.No.	Description	Details
1.	Aluminium Hydrate	19,900 TPA
2.	Steam Generated Boiler	10 TPH

9. प्रस्तावित एल्युमिनियम हाईड्रेड के उत्पादन हेतु बॉक्साईट क्रशिंग एवं ग्राईडिंग इकाई, प्री–डिसीलिकेशन, डाईल्युशन एवं डाईजेशन, बॉक्साईट रेसिडिव्यू वाशिंग, फिल्ट्रेशन, पॉलिशिंग फिल्ट्रेशन, हीट एक्सचेन्जर, प्रेसिपिटेशन, प्रोडक्ट एण्ड सीड क्लॉसिफिकेशन, मल्टी–ईफैक्ट ईवेपोरेटर, फिल्ट्रेशन एवं वाशिंग इकाई की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।

10. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था –

Source	Control Equipment	Maximum Particulate Emission at the Outlet
Boiler	Electrostatics Precipitators (ESP)(high performance rigid electrodes with transformer) with stack height of 30 meter	PM<250 mg/Nm^3
Bauxite Crushing Unit and Alumina Handling Unit	Bag Filter, Covered Conveyor belts and transfer points	PM<30 mg/Nm^3
Grinding Unit	Bag Filter	PM<30 mg/Nm^3
Dryers	Bag Filter	PM<30 mg/Nm^3
Dust from conveyors and material transfer points	Hoods and enclosures	PM<30 mg/Nm^3
For fugitive emission control :- • Provisions of wind barriers (tall barricades/3 meter tall boundary wall and 3 meter nylon screen around it.) • Provisions of enclosure, fogging system, water sprinkling arrangements. • Water sprinkling arrangements in truck parking areas.		

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बॉयलर की चिमनी में कन्टिन्युअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि बॉयलर से पार्टिकूलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलिग्राम प्रति सामान्य घनमीटर से कम रखे जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

11. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था –**

Waste	Quantity	Management
Bauxite Residue Waste	22,000 TPA	Solid Bauxite Residue cake will be produced using filter press [77-80% solid]. This wastage shall be sold to cement, brick and tiles making industries.
Ash from Boiler	3,500 TPA	Sold to industries like cement, brick making and for land reclamation, bund construction or road sub-base construction. Filling of abandoned coal mines, as per NGT order.
Lime grit from Lime slacker unit [Undissolved part of lime]	12 TPA	The wastes will be mixed with fly ash and 100% used in brick, tiles and block making etc.
Used Oil, Grease and Lubricants	1 kl/year	Collection in barrels, stored onsite at designated place and sold to recyclers authorized by the SPCB/CPCB.
Used oil / grease contaminated filter cloth and other fibre materials	5 TPA	Stored onsite at a designated place and disposed through common HWTSDF.
Municipal Solid Waste	0.5 TPA	Organic waste composter will be installed at site. Non-biodegradable, non-recyclable solid wastes would be disposed through authorized vendor.
Sludge from Neutralization pit	5 TPA	Stored in leak-proof facility within the premises at a designated place and disposed through common HWTSDF

12. **फ्यूल संबंधी विवरण –**

S.No.	Particulars	Fuel	Fuel Consump-tion (TPA)	Mode of Transportation	Distance from Site
1.	Fuel in Boiler	Rice Husk & coal	14,000	Truck	Within 100 km
2.	DG set 1 X 500 KVA	HSD	85.6 Ltr/Hr	By Tankers	Within 100 km

13. **जल प्रबंधन व्यवस्था –**

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु प्रारंभ में कुल 616.2 घनमीटर (वन टाईम) जल की आवश्यकता होगी, जिसमें से औद्योगिक उपयोग हेतु 601.2 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन, ग्रीन बेल्ट एवं डस्ट सप्रेशन हेतु 5 घनमीटर प्रतिदिन उपयोग किया जाएगा।

•

Water In	(KLPD)	Water Out	(KLPD)
Steam	240	Water with Mud	25.42
Bauxite	6.5	Water with Hydrate	3
Caustic	4.9	Cond. to Boiler	93.6
Seal Water	72	Misc. Water	10
Wash Water	120	From Evoparation	360
With Lime	37.8	Boiler Blow down	12
Flocculant	36	Cooling Tower to Atm.	48
PAN Filter Condensate	36	Sub-Total	501.02
Cooling Water Makeup	48	Septic Tank Soak Pit	7
Drinking Water	10		
Plantation and Dust Suppression	5		
Total	**616.20**		**501**

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवश्यक जल की आपूर्ति भू–जल से की जाएगी। समिति का मत है कि भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार:–
  - (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।
  - (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग /ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग द्वारा परिसर में रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की जाना आवश्यक है।
- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 13,232 घनमीटर है। समिति का मत है कि रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत उद्योग परिसर में प्रस्तावित रिचार्ज स्ट्रक्चर (लंबाई, चौड़ाई व गहराई) संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – परियोजना हेतु कुल 1.2 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाएगी। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 500 के.व्ही.ए. का 1 नग डी.जी. सेट का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है।

15. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 0.651 हेक्टेयर (33.04 प्रतिशत) क्षेत्र में 1,628 नग पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 1,95,360 रूपये, खाद के लिए राशि 48,840 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 45,000 रूपये एवं रख–रखाव आदि के लिए राशि 1,71,000 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 4,60,200 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 6,61,800 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)**
2100	2%	42	Following activities at, **Village-Harinchhapara**	
			Pavitra Van Nirman	42.00
			Total	**42.00**

17. सी.ई.आर. के अंतर्गत ''पवित्र वन निर्माण'' (आम, नीम, करंज, पीपल, बादाम आंवला एवं जामुन आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 3,750 नग पौधों के लिए राशि 4,50,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 3,94,500 रूपये, खाद के लिए राशि 1,12,500 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 3,90,000 रूपये, तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 4,45,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 17,92,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 24,08,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत हरिनछपरा के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 166, क्षेत्रफल 1.5 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
2. बॉयलर से पार्टिकूलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलिग्राम प्रति सामान्य घनमीटर से कम रखे जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
3. बॉक्साईट ओर एवं एल्युमिनियम हाईड्रेट का केमिकल कम्पोजिशन (chemical composition) की जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
4. प्रस्तावित उत्पाद हेतु केमिकल रिऐक्शन के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
5. भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
6. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत उद्योग परिसर में प्रस्तावित रिचार्ज स्ट्रक्चर (लंबाई, चौड़ाई व गहराई) संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
7. परियोजना हेतु आवश्यक रॉ–मटेरियल का परिवहन जिला–कबीरधाम के बाहर से नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
8. उद्योग के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) कम से कम 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

9. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

10. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

14. परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 के तहत् वैज्ञानिक विधि से अपवहन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 508वीं बैठक दिनांक 11/01/2024 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 04/03/2024 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 522वीं बैठक दिनांक 28/03/2024:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कवर्धा वनमण्डल, कवर्धा के ज्ञापन क्रमांक/तक. अधि./896 कवर्धा, दिनांक 01/02/2024 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. बॉयलर से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलिग्राम प्रति सामान्य घनमीटर से कम रखे जाने हेतु ई.एस.पी. एवं चिमनी की ऊंचाई केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। उक्त के परिमापन हेतु बॉयलर की चिमनी में कन्टीन्युअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिसे केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोड एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के सर्वर से सम्बद्ध किया जाना प्रस्तावित है।

3. बॉक्साईट ओर में aluminium minerals Gibbsitic alimina (THA), Boehmite alumina (MHA), Reactive Silica (R-SiO_2), Iron oxide (Fe_2O_3), Geothite as Fe2O3 (Geo), Titanium oxide (TiO_2), Phosphate (P_2O_5), Total organic carbon and other होना बताया गया है। एल्युमिनियम हाईड्रेट का केमिकल

कम्पोजिशन (chemical composition) की निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत किया गया है:–

Parameters	Value
Al_2O_3 (%)	> 64.5 %
Na_2O (%) Total	< 0.25 %
Fe_2O_3 (%)	< 0.02 %
Moisture (%)	< 5.0 %
LOI (%)	< 35 %
Mesh Size (-45 Micron)	< 12 %

4. प्रस्तावित उत्पाद हेतु केमिकल रिऐक्शन के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया गया है, जो निम्न है:–

$$Al_2O_{3(s)} + 2NaOH_{(aq)} \longrightarrow 2\ NaAlO_{2(aq)} + H_2O$$

(From impure baudite ore) — Sodium meta aluminate

$$SiO_2 + 2NaOH \longrightarrow Na_2SiO_3 + H_2O$$

The filtrate containing sodium meta aluminate and sodium silicate is stirred with a little aluminium hydroxide to induce precipitation of aluminium hydroxide

$$NaAlO_{2(aq)} + 2H_2O \longrightarrow Al(OH)_{3(s)} + NaOH_{(aq)}$$

Aluminium hydroxide

Aluminium hydroxide is then filtered, washed with water, dried and heated to get pure aluminium oxide (alumina)

$$2Al(OH)_{3(s)} \xrightarrow{Heat} Al_2O_{3(s)} + 3H_2O_{(g)}$$

5. भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त किये बिना सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त नहीं किया जाएगा। वर्तमान में हाईड्रो जियोलॉजिकल रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है, शीघ्र ही सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी में आवेदन किया जाएगा। इस बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
6. उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 13,232 घनमीटर है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 3 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर (लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर एवं गहराई 6 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।
7. परियोजना हेतु आवश्यक रॉ–मटेरियल का परिवहन जिला–कबीरधाम के बाहर से नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया गया है।

8. उद्योग के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) कम से कम 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

9. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

10. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

14. परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 के तहत् वैज्ञानिक विधि से अपवहन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

15. **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होगा। कूलिंग टावर, डी.एम. प्लांट, साफ्टनर प्लांट एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल के उपचार हेतु न्युट्रालाईजेशन कम सेटलिंग टैंक के साथ एसिड एवं एलकेलाईन डोजिंग की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है। उपचार उपरांत जल का उपयोग कूलिंग, हाईड्रेट वाशिंग, वृक्षारोपण, डस्ट सप्रेशन में उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोक पीट की स्थापना प्रस्तावित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

16. परियोजना अंतर्गत प्रस्तावित उत्पादन हेतु बॉक्साईट ओर का एक्सट्रेक्शन प्रक्रिया (Extraction Process) एवं स्मेल्टिंग प्रक्रिया (Smelting Process) नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. परियोजना हेतु आवश्यक रॉ–मटेरियल का परिवहन जिला–कबीरधाम के बाहर से नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

2. परियोजना अंतर्गत प्रस्तावित उत्पादन हेतु बॉक्साईट ओर का एक्सट्रेक्शन प्रक्रिया (Extraction Process) एवं स्मेल्टिंग प्रक्रिया (Smelting Process) नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) को एस.ई.आई.ए.ए.,

छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

3. मेसर्स मध्य भारत मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड (डॉयरेक्टर – श्री जितेन्द्र व्यास), ग्राम–हरिनछपरा, तहसील–बोडला, जिला–कबीरधाम स्थित खसरा क्रमांक 203/1 तथा प्लाट नं. A1 एवं A2, क्षेत्रफल–1.9697 हेक्टेयर में प्रस्तावित **Aluminium Hydrate of capacity 19,900 TPA alongwith Steam generated Boiler of capacity 10 TPH** हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) की अनुसूची 2(ख) खनिज सज्जीकरण {2(b) Mineral Benificiation} हेतु **परिशिष्ट–01** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति (बी–2 श्रेणी के अंतर्गत) दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स विद्यासागर इन्फ्रास्ट्रक्चर (पार्टनर–श्री मुकेश कुमार जैन, कण्डोरा आर्डिनरी स्टोन माईन), ग्राम–कण्डोरा, तहसील–कुनकुरी, जिला–जशपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2676)

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:–

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी. – 445337 एवं 23/09/2023	
खदान का प्रकार	साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान	संचालित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	1.75 हेक्टेयर एवं 90,017 टन प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक	पार्ट ऑफ 544/1	
भू–स्वामित्व	शासकीय भूमि	
बैठक का विवरण	500वीं बैठक दिनांक 11/12/2023	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 06/12/2023
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री सुशांत नायक, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुये। अधिकृत प्रतिनिधि का सहमति पत्र

		प्रस्तुत किया गया है।
पूर्व में जारी ई.सी.	खदान का प्रकार – साधारण पत्थर (गौण खनिज) खसरा क्रमांक – पार्ट ऑफ 544/1 क्षेत्रफल – 1.75 हेक्टेयर क्षमता – 90,356.31 टन प्रतिवर्ष दिनांक – 28/01/2017	डी.ई.आई.ए.ए., जिला–जशपुर
पूर्व में जारी ई.सी. का पालन प्रतिवेदन	स्व–प्रमाणित – हाँ	निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण – 350 नग। पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप वृक्षारोपण कर (पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं नाम) फोटोग्राफ्स सहित ग्राम पंचायत से प्राप्त कर प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी	दिनांक 14/07/2023 2017 में 20,540 टन 2018 में 26,320 टन 2019 में 18,200 टन 2020 में 25,400 टन 2021 में 15,523 टन 2022 में 2,000 टन 2023 (मार्च तक) में 30,000 टन	अप्रैल 2023 से किये गये उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत कण्डोरा दिनांक 17/08/2002	
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 23/12/2022	
500 मीटर	दिनांक 14/07/2023 अवस्थित खदानें–2, क्षेत्रफल – 3 हेक्टेयर	प्रस्तुतीकरण के दौरान लीज क्षेत्र को के.एम.एल. से अवलोकन करने पर पाया गया कि आवेदित क्षेत्र के 500 मीटर की परिधि में 2 खदानों के अतिरिक्त अन्य खदानें प्रदर्शित हो रही है। समिति का मत है कि सभी खदानों के संचालन स्थिति से अवगत कराते हुए 500 मीटर का अद्यतन स्थिति में प्रमाण पत्र खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
200 मीटर	दिनांक 14/07/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं
लीज डीड	वर्तमान लीज धारक – मेसर्स विद्यासागर इन्फास्ट्रक्चर, पार्टनर– श्री मुकेश कुमार जैन अवधि – दिनांक 05/09/2002 से 04/09/2032 तक।	पूर्व लीज धारक – मेसर्स श्री विनोद कुमार जैन लीज डीड हस्तांतरण– दिनांक 20/08/2014

वन विभाग एन.ओ.सी.	आवेदित खदान से लगी हुई अन्य खदान (ग्राम–कण्डोरा, खसरा क्रमांक 544/1, क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर) हेतु जारी एन.ओ.सी. को मान्य किये जाने हेतु अनुरोध। वनमण्डलाधिकारी, जशपुर वनमण्डल, जशपुर द्वारा जारी दिनांक 26/08/2002 आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र सीमा से बाहर है।	प्रस्तुत के.एम.एल. फाईल एवं टोपोशीट में अवलोकन करने पर आवेदित खदान (क्षेत्रफल 1.75 हेक्टेयर) की वन क्षेत्र की दूरी – 2 कि.मी., बादलखोल वन्य जीव अभयारण्य की आकाशीय दूरी – 15 कि.मी. 10 कि.मी. की दूरी पर राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव अभयारण्य नहीं है।
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम – कण्डोरा 600 मीटर स्कूल ग्राम – कण्डोरा 750 मीटर अस्पताल – कुनकुरी 5 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग – 650 मीटर राज्यमार्ग – 19.9 कि.मी.	सिरी नदी – 4 कि.मी. ईब नदी – 9.8 कि.मी. तालाब – 1.1 कि.मी. नहर – 3.2 कि.मी. मौसमी नाला – 1.25 कि.मी.
पारिस्थितिकीय/ जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि – ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग – हाँ **क्वारी प्लान अनुसार रिजर्व्स –** जियोलॉजिकल 17,87,209 टन माईनेबल 6,45,111 टन रिकव्हरेबल 6,32,209 टन **वर्तमान में शेष रिजर्व्स –** जियोलॉजिकल 17,01,492 टन माईनेबल 5,59,397 टन रिकव्हरेबल 5,48,209 टन प्रस्तावित गहराई 45 मीटर (15 मीटर हिललॉक, 30 मीटर गहराई) बेंच की ऊंचाई 3 मीटर बेंच की चौड़ाई 3 मीटर संभावित आयु 8 वर्ष प्रस्तावित क्रशर – नहीं	वर्षवार उत्खनन प्रथम 90,017 टन द्वितीय 89,992 टन तृतीय 90,009 टन चतुर्थ 89,877 टन पंचम 90,000 टन
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल – 3,780 वर्गमीटर	उत्खनित – नहीं
ऊपरी मिट्टी/ ओव्हर बर्डन प्रबंधन योजना	पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण ऊपरी मिट्टी /ओव्हर बर्डन अवस्थित नहीं है।	

जल आपूर्ति	मात्रा – 9 घनमीटर स्त्रोत – भू–जल	सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से एन.ओ.सी. प्राप्त है।
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर के चारों ओर वृक्षारोपण – 750 नग किया जाना है। वर्तमान वृक्षारोपण – 350 नग शेष प्रस्तावित वृक्षारोपण – 400 नग	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि –12,08,000 रूपये
परियोजना से संबंधित शपथ पत्र	परियोजना प्रस्तावक द्वारा डी.जी.एम.एस. द्वारा कन्ट्रोल ब्लास्टिंग, फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, खनन कार्य से होने वाले जन समस्याओं के निराकरण हेतु उपाय, सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य एवं संबंधित शाखा से कार्य पूर्ण प्रतिवेदन जिओटैग फोटोग्राफ सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करने बाबत्, छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् रोजगार, खनिज नियमों के तहत् सीमांकन, प्राकृतिक जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं सवर्धन हेतु आदि बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये है:– 1. हमारे द्वारा उत्खनन हेतु आवेदित भूमि के भूमि स्वामियों के भूमि से संबंधित समस्त हितों की रक्षा, भारत सरकार के समस्त नियमों के अंतर्गत पालन की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। 2. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है। 3. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है। 4. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा। 5. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। 6. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देशों का बिन्दुवार पालन किया जायेगा।

श्रेणी	बी2	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 4.75 हेक्टेयर है।

1. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
19.25	2%	0.38	Following activities at Nearby, **Village- Belghutri**	
			Plantation around village pond	0.50
			Total	**0.50**

सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण (आम, कटहल एवं जामुन) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल 30 नग पौधों के लिए राशि 3,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 4,500 रूपये, खाद के लिए राशि 1,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 7,000 रूपये एवं अन्य कार्य हेतु राशि 2,500 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 18,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 32,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा (खसरा क्रमांक 64, क्षेत्रफल 1.18 हेक्टेयर में स्थित तालाब) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि उक्त प्रस्ताव हेतु संबंधित ग्राम पंचायत का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप वृक्षारोपण कर (पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं नाम) फोटोग्राफ्स सहित ग्राम पंचायत से प्राप्त कर प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
2. अप्रैल 2023 से किये गये उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
3. लीज क्षेत्र को के.एम.एल. से अवलोकन करने पर आवेदित क्षेत्र के 500 मीटर की परिधि में 2 खदानों के अतिरिक्त अन्य खदानें प्रदर्शित हो रही है। अतः सभी खदानों के संचालन स्थिति से अवगत कराते हुए 500 मीटर का अद्यतन स्थिति में प्रमाण पत्र खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
4. खदान क्षेत्र के चारो ओर (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
5. सी.ई.आर. प्रस्ताव हेतु संबंधित ग्राम पंचायत का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 14/02/2024 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 05/03/2024 को प्रस्तुत किया गया है।

समिति की 522वीं बैठक दिनांक 28/03/2024:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के अनुरूप 350 नग वृक्षारोपण कर (पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं नाम) फोटोग्राफ्स सहित ग्राम पंचायत कण्डोरा से प्राप्त कर प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत किया गया है। साथ ही भविष्य में ग्राम पंचायत द्वारा प्रदत्त शासकीय भूमि पर 400 नग से 500 नग अतिरिक्त पौधे रोपित किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत कण्डोरा का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 170/खनि. शा./2024 जशपुर, दिनांक 23/02/2024 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

माह	उत्पादन (घनमीटर)
अप्रैल, 2023	निरंक
मई, 2023	2,800
जून, 2023	4,300
जुलाई, 2023	निरंक
अगस्त, 2023	
सितम्बर, 2023	
अक्टूबर, 2023	
नवम्बर, 2023	
दिसम्बर, 2023	

3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 184/ख.शा./2024 जशपुर, दिनांक 26/02/2024 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 2 खदानें, क्षेत्रफल 3 हेक्टेयर है।
4. खदान क्षेत्र के चारो ओर (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
5. सी.ई.आर. के अंतर्गत ग्राम–बेलघुटरी के खसरा क्रमांक 64 में तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण किये जाने हेतु ग्राम पंचायत बोड़ोकछार का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
6. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।।

7. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 184/ख.शा. /2024 जशपुर, दिनांक 26/02/2024 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 2 खदानें, क्षेत्रफल 3 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-कण्डोरा) का क्षेत्रफल 1.75 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-कण्डोरा) को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 4.75 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स विद्यासागर इन्फ्रास्ट्रक्चर (पार्टनर-श्री मुकेश कुमार जैन, कण्डोरा आर्डिनरी स्टोन माईन) को ग्राम-कण्डोरा, तहसील-कुनकुरी, जिला-जशपुर के पार्ट ऑफ 544/1 में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-1.75 हेक्टेयर, क्षमता-90,017 टन प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट-02** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स कदमपाल आर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री अमन अग्रवाल), ग्राम-कदमपाल, तहसील-बचेली, जिला-दंतेवाड़ा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2986)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी. – 457104 एवं 29/12/2023	
खदान का प्रकार	साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	1.35 हेक्टेयर एवं 23,264 टन प्रतिवर्ष	संलग्न है।
खसरा क्रमांक	815/2	संलग्न है।
भू-स्वामित्व	शासकीय भूमि	संलग्न है।
बैठक का विवरण	510वीं बैठक दिनांक 30/01/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 23/01/2024

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 510वीं बैठक दिनांक 30/01/2024 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध पत्र दिनांक 15/03/2024 को प्रस्तुत किया गया है।

समिति की 522वीं बैठक दिनांक 28/03/2024:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी/ अनुरोध पत्र का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 15/03/2023 के माध्यम से समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी/ दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–4: अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।

1. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 512वीं, 513वीं एवं 514वीं बैठक क्रमशः दिनांक 12/02/2024, 13/02/2024 एवं 14/02/2024 को संपन्न हुई थी। समिति द्वारा सर्वसम्मति से उक्त बैठकों के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन दिनांक 28/03/2024 को किया गया।

2. **श्री सुजीत कुमार, HPCL– सौम्या फ्यूल्स, ग्राम–शंकरगढ़, तहसील–मनेन्द्रगढ़, जिला–एम.सी.बी. द्वारा "ग्राम पंचायत शंकरगढ़ में शासकीय भूमि पर गिट्टी क्रेशर एवं खनन में आपत्ति बावत्।" के संबंध में प्राप्त शिकायत।**

श्री सुजीत कुमार, HPCL– सौम्या फ्यूल्स, ग्राम–शंकरगढ़, तहसील–मनेन्द्रगढ़, जिला–एम.सी.बी. द्वारा "ग्राम पंचायत शंकरगढ़ में शासकीय भूमि पर गिट्टी क्रेशर एवं खनन में आपत्ति बावत्।" के संबंध में दिनांक 29/02/2024 को शिकायत प्राप्त हुआ है। शिकायत में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार हैः–

"ग्राम पंचायत शंकरगढ़, तहसील–मनेन्द्रगढ़, जिला–एम.सी.बी. (छ.ग.) के शासकीय भूमि खसरा नं. 33 एवं 41 (कुल रकबा – 2.06 हेक्टेयर) को बालकृष्ण नेताम को क्रेशर एवं खनन हेतु लीज प्रदाय किया गया है। उक्त भूमि से 100 मीटर की दूरी पर मेरा पेट्रोल पंप (HPCL–सौम्या फ्यूल्स) है साथ ही घनी आबादी, अगरिया भवन, बैगा आवास, जलाशय (बांध), मेन रोड है एवं आसपास खेती के लिए उपजाउ भूमि है।

अतः जन हितों को ध्यान में रखते हुए लीज में दी गई भूमि का लीज निरस्त कर खनन की अनुमति न दिये जाने हेतु अनुरोध है।"

बैठक का विवरण –

समिति की 522वीं बैठक दिनांक 28/03/2024:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत शिकायत पत्र का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया एवं **विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि उपरोक्त शिकायत को

संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर को आगामी कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित किया जाए।

संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. शिकायतकर्ता द्वारा "शिवरीनारायण क्षेत्र में हो रहे अवैध रेत उत्खनन व परिवहन के संबंध में।" के संबंध में प्राप्त शिकायत।

शिकायतकर्ता द्वारा "शिवरीनारायण क्षेत्र में हो रहे अवैध रेत उत्खनन व परिवहन के संबंध में।" के संबंध में दिनांक 13/02/2024 को शिकायत प्राप्त हुआ है। शिकायत में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:-

"शिवरीनारायण नगर पंचायत के भोगहापारा व ग्राम-तनोद, तहसील-नवागढ़, जिला-जांजगीर चांपा में महानदी क्षेत्रान्तर्गत में सभी नियमो को ताक पे रख चेन माऊंटेन मशीन द्वारा भारी मात्रा में बेखौफ होकर सैकड़ो ट्रक रोजाना अवैध उत्खनन व परिवहन किया जा रहा हैं जिसके चलते शासन को भारी मात्रा में राजस्व कि हानि हो रही हैं, अवैध रेत खदान संचलन कर रहे लोग द्वारा मना किए जाने पर लगातार धमकी वं गुडागर्दी की जाती हैं जिसके चलते वैध रेत खदान पट्टेदारो को भी खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है।

अतः इस विषय पर गंभीर विचार कर ठोस कार्यवाही करने हेतु अनुरोध है। "

बैठक का विवरण –

समिति की 522वीं बैठक दिनांक 28/03/2024:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत शिकायत पत्र का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया एवं **विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि** उपरोक्त शिकायत को संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर को आगामी कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित किया जाए।

संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर को तदानुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(कलदियुस तिर्की)	(डॉ. बी.पी. नोन्हारे)
सदस्य सचिव	अध्यक्ष
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति	राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़

ENVIRONMENTAL CLEARANCE CONDITIONS FOR ALUMINIUM HYDRATE OF CAPACITY 19,900 TPA ALONGWITH STEAM GENERATED BOILER OF CAPACITY 10 TPH BY M/S MADHYA BHARAT MINERALS PRIVATE LIMITED (DIRECTOR - SHREE JITENDRA VYAS) AT VILLAGE- HARINCHHAPARA, TEHSIL - BODLA, DISTRICT- KABIRDHAM, AREA OF 1.9697 HECTARE.

This environmental clearance is being given subject to the following conditions. These conditions should be read very carefully and it should be ensured to follow them strictly.

I. Statutory compliance:

i. The project proponent shall obtain forest clearance (if any lands comes under Forest) under the provisions of Forest (Conservation) Act, 1986, in case of the diversion of forest land for non-forest purpose involved in the project.

ii. The project proponent shall obtain clearance from the National Board for Wildlife, if applicable.

iii. The project proponent shall prepare a Site-Specific Conservation Plan & Wildlife Management Plan and approved by the Chief Wildlife Warden. The recommendations of the approved Site-Specific Conservation Plan / Wildlife Management Plan shall be implemented in consultation with the State Forest Department. The implementation report shall be furnished along with the six-monthly compliance report. (in case of the presence of schedule-I species in the study area)

iv. The project proponent shall obtain Consent to Establish / Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the concerned State pollution Control Board / Committee.

v. The project proponent shall obtain the necessary permission from the Central Ground Water Authority, in case of drawl of ground water / from the competent authority concerned in case of drawl of surface water required for the project.

vi. The project proponent shall obtain authorization under the Hazardous and other Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time.

vii. The project proponent shall obtain prior permission from CREDA for utilization of rice husk (Biomass) as a fuel.

viii. The project proponent shall ensure that no extraction of metals from ores and minerals. If project proponent fails to comply this condition this environmental clearance maybe cancelled.

II. Air quality monitoring and preservation

i. The project proponent shall provide adequate air pollution control arrangements at all point and non point sources. Electro static precipitator of adequate capacity and high efficiency shall be installed in boiler with minimum 30 meter stack height to ensure particulate matter emission less than 50 mg/Nm3 all the time. Project proponent shall ensure that emission of SOx and NOx shall be less than 100 mg/Nm3. Seperate-Seperate Bag filter of adequate capacity and high efficiency

shall be installed in Crushing & Alumina Handling unit, Grinding unit, Dryers with minimum 30 meter stack height to ensure particulate matter emission less than 30 mg/Nm3 all the time.

ii. Project proponent shall install suitable & effective air pollution control equipments at all transfer points, junction points etc. also. All the conveying system, transfer point, junction point etc. shall be covered. Adequate provision shall be made for sprinkling of water at strategic locations to ensure dust does not get air borne. For controlling fugitive dust, regular sprinkling of water in vulnerable areas of the plant shall be ensured. All air pollution control systems shall be kept in good running condition all the time and failure (if any), shall be immediately rectified without delay; otherwise, similar alternate arrangement shall be made. In the event of any failure of any pollution control system adopted by the project proponent, the respective production unit shall not be restarted until the control measures are rectified to achieve the desired efficiency.

iii. The project proponent shall install 24x7 continuous emission monitoring system at process stacks to monitor stack emission with respect to standards prescribed in Environment (Protection) Rules 1986 as amended from time to time and connected to SPCB and CPCB online servers and calibrate these system from time to time according to equipment supplier specification through labs recognised under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories. Monitor fugitive emissions in the plant premises.

iv. All raw materials/ finished products shall be stored above ground level with pucca platform in covered shed. Industry shall provide safe and scientific arrangement for handling, storage and disposal of all solid wastes.

v. Project proponent shall ensure that an interlocking system will be provided to the boiler in such a way that whenever ESP fails, the fuel feed to the boiler will stop automatically.

vi. The project proponent shall monitor fugitive emissions in the plant premises at least once in every quarter through labs recognised under Environment (Protection) Act, 1986.

vii. The project proponent shall install system to carryout Continuous Ambient Air Quality monitoring for common / criterion parameters relevant to the main pollutants released (e.g. PM10 and PM2.5 in reference to PM emission, and SO2 and NOx in reference to SO2 and NOx emissions) within and outside the plant area at least at four locations (one within and three outside the plant area at an angle of 120°each), covering upwind and downwind directions. (case to case basis small plants: Manual; Large plants: Continuous).

viii. Provisions of wind barriers (tall barricades/3 meter tall boundary wall and 3 meter nylon screen around it.), provisions of enclosure, fogging system, water sprinkling arrangements, water sprinkling arrangements in truck parking areas shall be provided to control the fugitive emissions.

ix. The project proponent shall submit monthly summary report of continuous stack emission and air quality monitoring and results of manual stack monitoring and manual monitoring of air quality / fugitive emissions to Regional Office of MoEF&CC, Zonal office of CPCB and Regional Office of SPCB along with six-monthly monitoring report.

x. Appropriate Air Pollution Control (APC) system shall be provided for all the dust generating points including fugitive dust from all vulnerable sources, so as to comply prescribed stack emission and fugitive emission standards.

xi. Vehicular emissions shall be kept under control and regularly monitored. All the vehicles engaged in mining and allied activities shall operate only after obtaining 'PUC' certificate from the authorized pollution testing centres.

xii. The project proponent use leak proof trucks / dumpers carrying ore and other raw materials and cover them with tarpaulin.

xiii. Wind shelter fence and chemical spraying shall be provided on the raw material stock piles.

xiv. Design the ventilation system for adequate air changes as per ACGIH document for all tunnels, motor houses, Oil Cellars.

III. **Water quality monitoring and preservation**

i. Project proponent shall provide adequate capacity of Effluent Treatment Plant alongwith acid and alkaline dosing system for treatment of industrial effluent. Industry shall operate and maintain the effluent treatment system regularly. Instry shall install septic tank and soak pit for domestic effluent. Process spillages (from tanks etc.) will be kept within the curbed process areas and recovered to process by floor sumps pumps. Zero discharge conditions shall be maintained all the time.

ii. The project proponent shall install 24x7 continuous effluent monitoring system with respect to standards prescribed in Environment (Protection) Rules 1986 as amended from time to time and connected to SPCB and CPCB online servers and calibrate these system from time to time according to equipment supplier specification through labs recognised under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories. (case to case basis small plants: Manual; Large plants: Continuous).

iii. The project proponent shall monitor regularly ground water quality at least twice a year (pre and post monsoon) at sufficient numbers of piezometers / sampling wells in the plant and adjacent areas through labs recognised under Environment (Protection) Act, 1986 and NABL accredited laboratories.

iv. The project proponent shall submit monthly summary report of continuous effluent monitoring and results of manual effluent testing and manual monitoring of ground water quality to Regional Office of MoEF&CC, Zonal office of CPCB and Regional Office of SPCB along with six-monthly monitoring report.

v. The project proponent shall provide the slime disposal facility with impervious lining and collection wells for seepage. The water collected from the slime pond shall be treated and recycled.

vi. Adhere to 'Zero Liquid Discharge.

vii. Garland drains and collection pits shall be provided for each stock pile to arrest the run off in the event of heavy rains and to check the water pollution due to surface run off.

viii. The project proponent shall practice rainwater harvesting to maximum possible extent.

ix. The project proponent shall make efforts to minimise water consumption in the steel plant complex by segregation of used water, practicing cascade use and by recycling treated water.

IV. Noise monitoring and prevention

i. Noise level survey shall be carried as per the prescribed guidelines and report in this regard shall be submitted to Regional Officer of the Ministry as a part of six-monthly compliance report.

ii. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under E(P)A Rules,1986 viz. 75 dB(A) during day time and 70 dB(A) during night time.

V. Energy Conservation measures

i. Provide solar power generation on roof tops of buildings, for solar light system for all common areas, street lights, parking around project area and maintain the same regularly;

ii. Provide LED lights in their offices and residential areas.

VI. Waste management

i. Solid waste generated shall be disposed is given below:-

Waste	Management
Bauxite Residue Waste	Solid Bauxite Residue cake will be produced using filter press [77-80% solid]. This wastage shall be sold to cement, brick and tiles making industries.
Ash from Boiler	Sold to industries like cement, brick making and for land reclamation, bund construction or road sub-base construction. Filling of abandoned coal mines, as per NGT order.
Lime grit from Lime slacker unit [Undissolved part of lime]	The wastes will be mixed with fly ash and 100% used in brick, tiles and block making etc.
Used Oil, Grease and Lubricants	Collection in barrels, stored onsite at designated place and sold to recyclers authorized by the SPCB/CPCB.
Used oil / grease contaminated filter cloth and other fibre materials	Stored onsite at a designated place and disposed through common HWTSDF.
Municipal Solid Waste	Organic waste composter will be installed at site. Non-biodegradable, non-recyclable solid wastes would be disposed through authorized vendor.
Sludge from Neutralization pit	Stored in leak-proof facility within the premises at a designated place and disposed through common HWTSDF

ii. The waste oil, grease and other hazardous waste shall be disposed of as per the Hazardous & Other waste (Management & Transboundary Movement) Rules, 2016.

iii. Kitchen waste shall be composted or converted to biogas for further use.(to he decided on case to case basis dependingon type and size of plant).

VII. Green Belt and EMP

i. Green belt shall be developed in an area equal to 33.04% of the plant area with a native tree species in accordance with CPCB guidelines. The greenbelt shall inter alia cover the entire periphery of the plant.

ii. The project proponent shall prepare GHG emissions inventory for the plant and shall submit the programme for reduction of the same including carbon sequestration including plantation.

VIII. Public hearing and Human health issues

i. Emergency preparedness plan based on the Hazard identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implemented.

ii. The project proponent shall carry out heat stress analysis for the workmen who work in high temperature work zone and provide Personal Protection Equipment (PPE) as per the norms of Factory Act.

iii. Provision shall be made for the housing of construction Labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, creche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.

iv. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis and records maintained as per the Factories Act.

IX. Corporate Environment Responsibility

i. Project proponent shall made CER fund as follows:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
2100	2%	42	Following activities at, **Village-Harinchhapara**	
			Pavitra Van Nirman	42.00
			Total	**42.00**

ii. The project proponent shall submit the Corporate Environmental Responsibility project work completion report issued by the concerned principal of the respective schools and concerned gram Panchayat.

iii. The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements/deviation/violation of the environmental I forest /wildlife norms/ conditions. The company shall have defined system of reporting infringements I deviation I violation of the environmental I forest I wildlife norms I conditions and I or shareholders I stake holders. The copy of the board resolution in this

regard shall be submitted to the MoEF&CC as a part of six-monthly report.

iv. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of senior Executive, who will directly to the head of the organization.

v. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Ministry/Regional Office along with the Six Monthly Compliance Report.

vi. Self environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out

vii. All the recommendations made in the Charter on Corporate Responsibility for Environment Protection (CREP) for the Mineral Beneficiation plants shall be implemented.

X. Additional Conditions

i. The project proponent shall make public the environmental clearance granted for their project along with the environmental conditions and safeguards at their cost by prominently advertising it at least in two local newspapers of the District or State, of which one shall be in the vernacular language within seven days and in addition this shall also be displayed in the project proponent's website permanently.

ii. The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of local bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.

iii. The project proponent shall upload the status of compliance of the stipulated environment clearance conditions, including results of monitored data on their website and update the same on half-yearly basis.

iv. The project proponent shall monitor the criteria pollutants level namely; PM_{10}, SO_2, NO_x (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters, indicated for the projects and display the same at a convenient location for disclosure to the public and put on the website of the company.

v. The project proponent shall submit six-monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environmental conditions on the website of the ministry of Environment, Forest and Climate Change at environment clearance portal.

vi. The project proponent shall submit the environmental statement for each financial year in Form-V to the concerned State Pollution Control Board as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently and put on the website of the company.

vii. The project proponent shall inform the Regional Office as well as the Ministry, the date of financial closure and final approval of the project

by the concerned authorities, commencing the land development work and start of production operation by the project.

viii. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the State Pollution Control Board and the State Government.

ix. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA/EMP report, commitment made during Public Hearing and also that during their presentation to the Expert Appraisal Committee.

x. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEF&CC).

xi. Concealing factual data or submission of false/fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

xii. The Ministry may revoke or suspend the clearance, if implementation of any of the above conditions is not satisfactory.

xiii. The Ministry reserves the right to stipulate additional conditions if found necessary.

xiv. The Company in a time bound manner shall implement these conditions.

xv. The Regional Office of this Ministry shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the officer (s) of the Regional Office by furnishing the requisite data I information/monitoring reports.

xvi. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India / High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

xvii. Any appeal against this EC shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

Member Secretary, SEAC **Chairman, SEAC**

मेसर्स विद्यासागर इन्फ्रास्ट्रक्चर
(पार्टनर–श्री मुकेश कुमार जैन, कण्डोरा आर्डिनरी स्टोन माईन)
को पार्ट ऑफ 544/1, कुल लीज क्षेत्र 1.75 हेक्टेयर, ग्राम–कण्डोरा, तहसील–कुनकुरी, जिला–जशपुर में साधारण पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन – 90,017 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावें तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1.75 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से साधारण पत्थर का अधिकतम उत्खनन 90,017 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् रहेगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल, आक्षंश एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
4. क्लस्टर हेतु प्रस्तुत कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के अनुसार वृक्षारोपण एवं परिवहन सड़कों एवं खदान से परिवहन सड़क तक पहुंच मार्गों के संधारण का कार्य 6 माह में पूर्ण किया जाए।
5. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना है।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
7. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
8. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी

री–ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह चारा, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

9. भू–जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। साथ ही अन्य स्त्रोत से जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में संबंधित विभाग से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।

10. किसी चिमनी / वेंट / प्वाईंट सोर्स से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वांइट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेन्मेन्ट कम सप्रेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत् संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

11. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के चारों तरफ फेंसिंग का कार्य किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाए।

13. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए। ऐसा करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति किसी भी समय तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी।

14. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्वार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाईज) करने में किया जाए।

15. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर प्रस्ताव अनुसार निर्धारित स्थान पर भंडारित कर संरक्षित रखा जाए। मिट्टी का दुरूपयोग, विक्रय एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किया जाए। इस मिट्टी का उपयोग खदान के पुनःभराव के लिए किया जाए।

16. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जावें ताकि भण्डारित पदार्थ आस–पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊँचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

17. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्डों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया

जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस–पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र मे रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।

19. खनिज का परिवहन कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

20. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	**Percentage of Capital Investment to be Spent**	**Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)**	**Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)**	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)**
19.25	2%	0.38	Following activities at Nearby, **Village- Belghutri**	
			Plantation around village pond	0.50
			Total	**0.50**

21. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यो के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।

22. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण (आम, कटहल एवं जामुन) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल 30 नग पौधों के लिए राशि 3,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 4,500 रूपये, खाद के लिए राशि 1,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 7,000 रूपये एवं अन्य कार्य हेतु राशि 2,500 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 18,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 32,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा (खसरा क्रमांक 64, क्षेत्रफल 1.18 हेक्टेयर में स्थित तालाब) के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।

23. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर / प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी / प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी / प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

24. जब भी निरीक्षण दल / अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान / उद्योग / भट्टा के निरीक्षण के साथ–साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यो का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

25. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 750 नग वृक्षों का सघन वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

26. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2024–25 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 340 नग पौधों का रोपण (कुल 1,090 नग पौधे) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए एवं शेष 4 वर्षो तक रख–रखाव किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति तत्काल निरस्त की जा सकती है।**

27. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये जियोटेग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी पालन प्रतिवेदन के साथ कार्यालय में प्रस्तुत करें।

28. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) कम से कम 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए। आपके द्वारा रोपित पौधों के वृक्षारोपण को सफल बनाना आपकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी।

29. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य एवं सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय–समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।

32. उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रकिया भू–जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए। भू–जल स्तर को क्षति न पहुंचे, इसका समुचित ध्यान रखा जाए।

33. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं पर कोई दुष्प्रभाव न हो। क्षेत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं का समुचित संरक्षण आपका दायित्व होगा।

34. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।

35. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास एवं सुरक्षा हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।

36. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

37. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

38. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए, छत्तीसगढ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

39. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

40. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

41. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।

42. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायगढ़, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए।

43. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

44. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

45. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत् बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
46. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत् निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
47. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
48. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी. **अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.**